न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्याः 117/18 **निर्णय दिनांकः– 10-2-2020**

1. यासीनखां पुत्र नाजूखां जाति मुसलमान निवासी गंगाजली तहसील पूगल जिला बीकानेर

–अपीलांट

–बनाम–

1. करीमा खातून पत्नी लतीफ पुत्री हाजी अम्दू खॉ निवासी गणेशवाली तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 16–05–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय पारिक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री रामावतार बूरी, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 16–05–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 11 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 176/58 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1993 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन हेतु अपीलांट की पात्रता मानते हुए अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया। जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दो अपील क्रमशः– 203/98 व 204/98 पेश की गई। उक्त अपीलें दिनांक 29–12–1998 को न्यायालय हाजा द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार

करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदन करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें। उक्त रिमाण्ड प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा कार्यवाही करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आधार पर नहीं की गई कि उनके अधिवक्ता श्री हरीश शर्मा के माध्यम से दिनांक 16–06–1999 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करत हुए कथन किया गया कि वे मुरब्बा नम्बर 176/58 की विवादित भूमि नहीं लेना चाहते है। इसी प्रकार उनके द्वारा आदेश जैर अपील में यह भी अभिलिखित किया गया कि यासीन खॉ के मुख्त्यारआम भागीरथ पुत्र नानकराम जाट ने जरिये अभिभाषक पैरवी प्रस्तुत की है। उक्त पैरवी के संबंध में अदालत मातहत द्वारा यह अभिलिखित किया गया कि रेस्पोडेन्ट यासीन खॉ अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा है तो जरिये मुख्त्यारआम अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर गौर नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण के दृष्टिकोण में कानूनी दृष्टि से उचित नहीं थी। क्योंकि न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण दोनों पक्षों की सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था ना कि स्वयं उनके द्वारा ही अपना मत बनाते हुए अपीलांट की पात्रता को समाप्त कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु आवंटन के पश्चात् से ही संघर्षरत रहा है। ऐसी स्थिति में मात्र फौरी तौर पर वादग्रस्त भूमि पर उसके अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में दिनांक 16–06–1999 के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर अपीलांट की पात्रता को समाप्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दबाव में आकर दिया गया था तथा अपीलांट अब अपील चलाना चाहता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई गौर किये बिना पूर्ववर्ती प्रार्थना को आधार बनाकर अपीलांट की पात्रता को समाप्त कर दिया गया। जो स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 29–12–1998 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि अदालत मातहत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर देकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के वादग्रस्त भूमि पर

पात्रता/वरियता को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करने चाहिए थे। जबकि अदालत मातहत द्वारा इसके विपरीत केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट की पात्रता व पूर्ववर्ती आवंटन व पूर्व में जमा राशि को जब्त करने के आदेश प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अपीलांट आज दिनांक तक उक्त भूमि को प्राप्त करना चाहता है तथा अपीलांट द्वारा कभी भी उक्त भूमि को लेने से इंकार नहीं किया गया है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के वादग्रस्त भूमि के आवंटन के संबंध में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आवंटन पत्रावली पर पुलिस जॉच प्रपत्र में भूमि आवंटन की सिफारिश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट के विपरीत जाकर व रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की जॉच किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन पूर्व में ही खारिज हो चुका था। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का विधिवत आवंटी है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के पूर्ववर्ती आवंटन को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। ऐसे आदेशों पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट की अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 20—12—1998 को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16—12—1993 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। उक्त आदेश की पालना में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16—05—2000 को आदेश जैर अपील पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा दिनांक 31—07—2000 को प्रस्तुत की गई है। जोकि करीब 75 दिवस उपरान्त पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये वे मियांद को कण्डोन करने के संतोषजनक

कारण नहीं है। अपीलांट द्वारा वेग व मिथ्या आधारों पर अपील को अन्दर मियांद शुमार करवाने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद बाहर धोषित की जाकर मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र अपने आप में ही अधूरा प्रार्थना पत्र है। ऐसे अधूरे प्रार्थना पत्र पर आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। यदि उक्त प्रार्थना पत्र को आवंटन योग्य मान भी लिया जावे तब भी अपीलांट स्वयं द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 13—09—2000 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि मुझ प्रार्थी द्वारा अपील पेश नहीं की गई है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मेरे नाम से पेश की गई है। मेरी नाम की व मेरी क्रय की गई कृषि भूमि में वादग्रत कृषि भूमि को मिलाने पर सिलिंग सीमा से अधिक होती है। जिस कारण से अपीलांट वादगत् भूमि लेना नहीं चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं अपीलांट यासिन खॉ के हस्ताक्षर अंकित है तथा अपीलांट की पहचान स्वयं अधिवक्ता द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट उक्त भूमि को लेना ही नहीं चाहता है तो उक्त भूमि पर उसके अधिकार उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ही समाप्त हो चुके थे। लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र के उपरान्त अपीलांट का वादग्रस्त भूमि के बाबत् पुनः अपने अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा मात्र रेस्पोडेन्ट के आवंटन को खारिज करवाने का प्रयास मात्र है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट यासीन खॉ के स्थान पर अन्य भागीरथ नाम के व्यक्ति द्वारा तमाम कार्यवाही की जा रही है। क्योंकि अपील के साथ प्रस्तुत वकालतनामें में अपीलांट यासीन खॉ के हस्ताक्षर अंकित है जिसकी पहचानकर्ता भागीरथ है। यह विचारणीय है कि भागीरथ को अपीलांट यासीन खॉ की पहचान की क्या आवश्यकता पड़ी तथा उसे यासीन खॉ की पहचान हेतु किस सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया। उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट यासीन द्वारा विभिन्न स्तरों पर न्यायालय के समक्ष वकालतनामें प्रस्तुत किये गये है। जिसमें किसी वकालतनामें पर हस्ताक्षर व किसी वकालतनामें पर अगूंठा निशानी अंकित किये गये है। ऐसीस्थिति में अपीलांट का यह कृत्य मामलें को संदिग्ध बनाता है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् राशि जमा कराने का प्रश्न है, समस्त रसीदे पर भागीरथ के नाम से जारी की गई है। ऐसी स्थिति में भागीरथ नाम के व्यक्ति का वादग्रस्त भूमि से क्या सरोकार है अपीलांट साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

उन्होनें आगे बताया कि न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलांट के आवंटन को वर्ष 1993 में खारिज किया जा चुका था तथा उसके पश्चात् अपीलांट स्वयं द्वारा उक्त भूमि को लेने से इंकार कर दिया गया। ऐसीस्थिति में किसी मुख्त्यारआम को वादग्रस्त भूमि पर पैरवी करने अथवा अपीलांट को उक्त भूमि आवंटित कराने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष रिमाण्ड प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए यह पाये जाने पर कि अपीलांट यासीनखॉ द्वारा जरिये अधिवक्ता मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किये जाने पर कि वे उक्त मुरब्बा नम्बर 176/58 की विवादित भूमि लेना नहीं चाहते है। तथा वादग्रस्त भूमि पर अन्य किसी का आवेदन नहीं होने व प्रथम पंक्ति का कोई आवेदन नहीं होने व रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि जॉच करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि चक 2 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 176/58 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान दर से विधिवत रूप से आवंटन करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसीस्थिति में अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ–साथ गुणावगुण पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में चूंकि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज करने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर किसी प्रकार का विवेचन करने से पूर्व सर्वप्रथम मियांद का बिन्दु अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–05–2000 के विरूद्व अपील दिनांक 31–07–2000 को प्रस्तुत की गई है। जो मियांद बाहर पेश है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए मियांद को कण्डोन करने हेतु कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 29–12–98 को लिखित जवाब पेश कर दिया गया था लेकिन अदालतवाला ने निर्णय दिनांक 16–05–2000 को दिया गया जिसकी नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 20–05–2000 को पेश किया तथा जिसकी नकल दिनांक 28–05–2000 को प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद पेश की गई है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक [illegible] द्वारा अपीलार्थी की अपील [illegible] [illegible] किये जाने के कारण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **प्रकरण में चूंकि [illegible] [illegible] के समक्ष अपीलार्थी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के समक्ष उपस्थित आते हैं। [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की होती है।** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है कि **Rajasthan Land Revenue Act, Section 76 - Appellant present in lower court on date of judgement-Limitation for filing appeal will run from date of judgement - Plea that he became aware of judgement on a subsequent date, rejected.** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होती है।

[illegible] प्रकार विद्वान अभिभाषक [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया गया है कि- **Limitation Act, Sec. 5 - Appeal against order of Addl. Collector, filed after 11 years, dismissed by R.A.A. as time barred - Held, appeal rightly dismissed since cause for delay given in application u/s 5 and affidavit not satisfactory and application vague - Party to whom valuable rights accrued could not be deprived of such rights on basis of vague facts unless appellant could prove that cause for delay satisfactory beyond doubt,** [illegible] [illegible] [illegible] होती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र – 3 में राजकीय भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत शपथ पत्र पर अगूंठा निशानी अथवा हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इसी प्रकार अपीलांट यासीन खॉ द्वारा 12–09–2000 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर कथन किया गया कि **"मुझ प्रार्थी द्वारा अपील पेश नहीं की गई है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मेरे नाम से पेश की गई है। मेरी नाम की व मेरी क्रय की गई कृषि भूमि में वादग्रस्त भूमि को मिलाने पर सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होती है जिस वजह से प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि लेना नहीं चाहता है। इसी क्रम में अपीलांट यासीन खॉ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी ने अदालत मातहत अर्थात सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी के समक्ष भी इस आशय का शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया था कि प्रार्थी भूमि नहीं लेना चाहता है,"** एवं उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपील को विड्रा करने का कथन पर अपीलांट की अपील खारिज की गई। इसप्रकार अपीलांट द्वारा स्वमेव अदालत मातहत व न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि को नहीं लेने का कथन किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 15–09–2000 को अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त प्रार्थना पत्र को दबाव में आकर पेश करने का कथन करते हुए प्ररकण को रेस्टोर किये जाने की इस्तदुआ की गई।

इसी क्रम में यदि अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र जोकि अपीलांट द्वारा वर्ष 1991 में वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा समय–समय पर विभिन्न न्यायालयों में उपस्थित आकर भिन्न–भिन्न अधिवक्ताओं के जरिये पैरवी करवाई गई है। अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 31–07–2000 को अपील प्रस्तुत करते समय श्री जगदीश शर्मा को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् उक्त अवधि के करीब दो माह के भीतर ही अर्थात दिनांक 12–09–2000 को अन्य अधिवक्ता के माध्यम से वादग्रस्त भूमि नहीं लेने व अपील विड्रा करने का कथन किया गया। उक्त कार्यवाही के तीन दिन के उपरान्त दिनांक 15–09–2000 को अधिवक्ता परिवर्तन करते हुए पुनः उक्त अपील को रेस्टोर करने का कथन किया गया। उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा खारिज करने के फलस्वरूप न्यायालय हाजा के समक्ष पुनः अधिवक्ता परिवर्तन करते हुए रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार अपीलांट वादग्रस्त भूमि के आवंटन प्रार्थना प्रस्तुत करने की दिनांक से ही जागरूक रहा है। ऐसीस्थिति में दिनांक 10–05–1999 को अदालत मातहत के समक्ष जरिये मुख्त्यारआम प्रस्तुत करने की

आवश्यकता को वह साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार अपीलांट स्वयं का कृत्य उसे संदेह के घेरे में लाता है तथा अपीलांट का यह कृत्य न्यायिक प्रक्रिया का बेजा फायदा व उसका मजाक उड़ाने वाला कृत्य है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। प्रकरण में प्रस्तुत तमाम दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अपीलांट के स्थान पर अन्य व्यक्ति द्वारा अपीलांट के नाम से वादग्रस्त भूमि को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तुत मामलें में जब अपीलांट स्वयं द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया जा चुका है कि यदि उक्त भूमि का आवंटन उसे किया जाता है तो उसकी भूमि सिलिंग सीमा से अधिक हो जायेगी। ऐसी स्थिति में अपीलांट स्वयं के कथनों से बाधित है तथा नियम 13 ए जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि का आवंटन सिलिंग सीमा तक ही किया जा सकता है, के तहत भी अपीलांट उक्त भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसीस्थिति में अपीलांट मियांद के बिन्दु व गुणावगुण पर वादग्रस्त भूमि को अपने पक्ष में आवंटित करने के संबंध में अपना पक्ष साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है।

जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने का प्रश्न है, उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में आवंटित की जा चुकी थी, परन्तु पुलिस रिपोर्ट पक्ष में ना होने के कारण आवंटन खारिज किया गया था। अदालत मातहत द्वारा रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में तमाम जॉच के उपरान्त यह रेस्पोडेन्ट करीमा खातून को वादग्रस्त भूमि के आवंटन का पात्र धोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 2 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 176/58 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि वर्तमान दर से आवंटन करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसकी पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसीस्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिक प्रकिया को अपनाते हुए युक्तियुक्त व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में आता है। लिहाजा उक्त अपील के माध्यम से आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु व गुणावगुण पर खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—05—2000 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 10/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.26 15:57:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: